22.7.24 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण मे कार्य व्यस्तता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका है। प्रकरण मे बहस सुने हुए एक माह से अधिक समय होने से प्रकरण मे पुनः माजिद बहस सुनी गई प्रार्थी का प्रा.पत्र अ. धा. 25 ए. R.T.A का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमहो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश गुर्जर

प्रार्थना पत्र संख्या :– 38/2022

1– नानालाल पुत्र प्रताप जटिया निवासी दौलतपुरा तह0 बेगूँ
2– रूपा पुत्र प्रताप जटिया निवासी दौलतपुरा तह0 बेगूँ
3– रामलाल पुत्र बालु जी जटिया निवासी दौलतपुरा तह0 बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र मोहनलाल जटिया निवासी दौलतपुरा तह0 बेगूँ
2. इन्द्रा पुत्री कमली पति प्रकाश जटिया निवासी रेतपुरा तह0 सिंगोली (म.प्र.)
3. उँकार वपुत्र बालू जटिया निवासी दौलतपुरा तह0 बेगूँ
4. गोपाल पुत्र कमली पिता भूरा जटिया निवासी गंगापुर तह0 बेगूँ
5. दौला पुत्र बालू जटिया निवासी दौलतपुरा तह0 बेगूँ
6. नारायणी पति मोहनलाल जटिया निवासी दौलतपुरा तह0 बेगूँ
7. बबली पुत्री कमली पति राजू जटिया निवासी खेरमालिया तह0 बेगूँ
8. माधु पुत्र बालू जटिया निवासी दौलतपुरा तह0 बेगूँ
9. रतनलाल पुत्र मोहनलाल जटिया निवासी दौलतपुरा तह0 बेगूँ
10. वक्ला पुत्र भूरा जटिया निवासी दौलतपुरा तह0 बेगूँ
11. समती पुत्र मोहन पति गोवर्धन जटिया निवासी जयनगरखेडा तह0 बेगूँ
12. सीता पुत्री बालू जटिया पति सोहन जटिया नि0 कूतली तह0 सिंगोली म.प्र.
13. हीरा पुत्र भूरा जटिया मृतक के बजाय पन्नी बाई पत्नि भैरू जटिया निवासी दौलतपुरा तह0बेगूँ
14. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ

अप्रार्थीगण

उपस्थित :– श्री विजयप्रकाश शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

आदेश दिनांक :– 22.07.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्राथीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री विजयप्रकाश शर्मा द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि मौजा दौलतपुरा प0ह0 बरनियास तह0 बेगूँ की वर्तमान खाता संख्या 19 के खसरा नं0 179/46,180/46, 35, 46 मी., 59, 61, 62, 77 कुल किता 8 रकबा 2.5420 हैक्टर कृषि आराजीयात प्रार्थीगण के संयुक्त सहखातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

यह कि उपरौक्त वर्णित कृषि आराजीयात में से खसरा नम्बर 61, 62 मौजा दौलतपुरा की प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में होकर प्रार्थीगण अपनी उक्त खसरा नम्बर का उपयोग उपभोग कर रहे है। उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात नं0 61, 62 कुल किता 2 कुल रकबा 1.213 हैक्टर पर पहूँचने के लिए एक मात्र कदीमी रास्ता ग्राम दौलतपुरा व कंदरपुरा की सीमा से लगते हुए सार्वजनिक रास्ते दौलतपुरा से हमेपुर जाने वाले मार्ग के दक्षिण में लगी हुई ग्राम दौलतपुरा के खसरा नं. 35 के पश्चिम में होता हुआ खसरा सं. 36 के पश्चिम में होकर खसरा नं. 62 पर पहूँचता है जिसको प्राथीगण ने अपने सलग्न नजरी नक्शा में दर्शाया है।

यह कि प्रार्थीगण द्वारा नजरी नक्शे एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ता विगत अर्सा वर्षो से मौके पर उपलब्ध था जिससे प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजी नं. 61, 62 पर पहूँचकर कृषि कार्य करते आ रहे हे लेकिन वर्तमान समय मे खसरा सं. 36 के खातेदारान के मन में बदनियती आ जाने से एवं प्रार्थीगण को अपने खातेदारी की आराजी नं. 61, 62 के उपयोग उपभोग से वंछित करने की गरज से खसरा सं. 36 की पश्चिमी दिशा के रास्ते को हांककर रास्ते को अवरूद्ध कर प्रार्थीगण की भूमि पर पहूँचने के एक मात्र सरल रास्ते को बन्द कर दिया गया जिससे प्राथीगण वत्रमान मे अपनी भूमि पर कृषि यन्त्र आदि नहीं ले जा सके जिस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त भूमि पडत ही पडी रह गयी थी।

यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की मौजा दौलतपुरा की आराजी नं. 61, 62 पर पहूँचने का एक मात्र रास्ता ग्राम दौलतपुरा से हमेपुर मार्ग पर प्रार्थीगया की स्वयं की कृषि आराजी नं. 35 के पश्चिम में स्थित रास्ते से होकर आराजी नं. 36 के पश्चिम दिशा पर ही उपलब्ध था एवं वर्तमान मे भी उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई सरल रारता प्रार्थीगण की भूमि पर पहूँचने का नही है जिससे प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजीयात पर कृर्षि कार्य करने हेतू पहूच सके।

यह कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित रास्ता अर्सा वर्षो से मौके पर उपलब्ध था एवं वर्तमान में आराजी नं. 35 के पश्चिम में उपलब्ध है जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमि पर पहूँचकर अपनी भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे थे, लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही होने के कारण वर्तमान आराजी नं. 36 के खातेदारान ने रास्ते की भूमि को

MZ

आराली नं. 36 मे मिला दिया है जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमि पर पहूँचकर उसका उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहे है। इस प्रकार प्रार्थीगण को रास्ता उपलबध कराया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है जिससे प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र श्रीमान में पेश है।

यह कि प्रार्थीगण्सा न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाने के लिए तेयार है। प्रार्थीगण को न्यायहित में उक्त रास्ता उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो प्रार्थीगण अपनी भूमि के उपयोग उपभोग से वच्छित हो जावेगें एवं कृषक व्यक्तियो के परिवार की आर्थिक स्तिथि कमजोर हो जावेगी व प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजीयात के समस्त हक अधिकारो से वच्छित हो जावेगें। संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात पर पहूँचने के रास्ते को राजस्व रेकार्ड में कायम किये जाने हेतु प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। यहकि मौजा दौलतपुरा प.ह. बरनियास की आराजी नं. 61, 62 पर पहूँचने के लिए उक्त संलग्न नजरी नक्शे में वर्णित रास्ते के अलावा अन्य कोई सरल रास्ताउपलब्ध नहीं है।

यहकि प्रार्थीण की कृषि आरीयात पर पहूँचने के एक मात्र रास्ते की आराजी नं. 35 के स्वयं प्रार्थीगण ही मालिक है तथा मौके पर रास्ता बना हुआ है तथा आराजी नं. 36 के खातेदार विपक्षीगण है जिन्होने आराजी नं. 36 के रास्ते की भूमि को अपनी भूमि में मिला लिया है जिन्हें विपक्षीगण बनाया है। विपक्षीगण अपनी आराजी नं. 36 पर विद्यमान रास्ते से होकर आने जाने के लिए प्रार्थीगण को रोक रहे है जिससे प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजीयात पर कृषि उत्पादनप खाद फसल बीज आदि नही निकाल सक रहे है एवं आने जाने के एक मात्र रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है जिससे प्रार्थीगण की उक्त कृषि आराजीयात पर पहूँचने में भारी कठिनाई उत्पन्न हो रही है। विपक्षीगण को प्रार्थीगण की उक्त कृषि आराजी पर पहूँचने के एक मात्र रास्ते में आने जाने से रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है इसलिए कानूनन विपक्षीगण की आराजीयात पर प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायोचित है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा दौलतपुरा प.ह. बरनियास की आराजी नम्बर 61, 62 पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार मौजा दौलतपुरा की आराजी नं. 35 व 36 के पश्चिमी दिशा की तरफ 10 फीट चौड़ाई के रास्ते का प्रतिकर जमा किया जाकर रास्ते की भूमि का राजस्व रिकोर्ड , नक्शाट्रेस में तरमीम किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, विपक्षीगण संख्या 1 से लगायत 14 तक प्रकरण में बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। इस प्रार्थना पत्र पत्रावली में वर्णित आराजीयात पर पहूँच हेतु चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट तहसीलदार बेगूँ से तलब की गई। रास्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट तहसीलदार, बेगूँ द्वारा उनके पत्र कमांक /भू.अ./राजस्व/2023/4739 दिनांक 05.047. 2023 के साथ संलग्न रिपोर्ट भू0अ0नि0 वृत पारसोली की रिपोर्ट एव पर्चा मौका रिपोर्ट मय नकल जमाबंदी एवं नक्शाट्रेस के साथ प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की गई। साथ ही रास्ते में आने वाली भूमि की प्रचलित दर (डी.एल. सी) अनुसार विपक्षीगण खातेदारान को प्रार्थीगण द्वारा दी जाने वाली राशि के सम्बन्ध में भी रिपोर्ट प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया तथा रास्ते के सम्बन्ध मे प्राप्त रिपोर्ट पर बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण की सुनी गई जिन्होनें अपनी बहस प्रार्थना पत्र के अनुसार करते हुए प्रतिकर जमा कराने की सहमति देते हुए भूमि पर पहूच हेतु रास्ता कायम किये जाने का निवेदन हमारे समक्ष किया है।

भू0अ0नि0 वृत पारसोली की रिपोर्ट अनुसार वादीगण द्वारा आराजी नं. 61, 62 में पहूँचने हेतु कंवरपुरा हमेपुर मार्ग से आराजी नं0 35 जो वादीगण के नाम पर है पर रास्ता विद्यमान होकर खुला हुआ से आराजी नं. 36 मे से रास्ता दर्ज करवाना चाहते है जो आवश्यक है। इस रास्ते अलावा न्यूनतम दूरी के रास्ता का विकल्प नहीं है। प्राथीगण के अपने खेत पर पहूँचने हेतु मार्ग न्यूनतम दूरी पर है। प्रार्थी के आराजी नम्बर मे लम्बाई गुणा चौडाई 80 मीटर गुणा 3.05 मीटर यानि 244 वर्गमीटर यानि 0.024 हैक्टर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है। जो नजरी नक्शा एवं नक्शाट्रेस मे लालस्याही से दर्शाया गया है।

रास्ता बनाने अधीन अवधारित भूमि के मूल्य के अतिरिक्त खडे वृक्ष फसल या संरचना को हटाने से कोई हानि नहीं होती है। क्यो कि कोई वृक्ष या संरचना मौके पर नहीं है। इसी प्रकार पर्चा मौका में उल्लेख किया है कि वादी द्वारा अपने आराजी नं. 61, 62 में पहुँचने के लिए जो मांग की गई है कंवरपुरा हमेपुर मार्ग से आराजी नम्बर 35 जो वादी के नाम पर है मे रास्ता मौके पर होकर रास्ता विद्यमान है आराजी नं. 36 जो विपक्षीगण के नाम पर संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसकी आराजी नं. 35 से दूरी 80 मीटर है। ग्राम कंवरपुरा के खसरा नं. 93 जो बिलानाम रास्ता है, जो आराजी नम्बर 57, 58 तक पहूँचता की दूरी 92 मीटर है। साथ ही डी.एल.सी. अनुसार राशि गणना करने की जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमे दर्शाया गया है कि रिपोर्ट भू.अ.नि. वृत पारसोली अनुसार रास्ते हेतु ग्राम दौलतपुरा प0ह0 बरनियास की आराजी संख्या 36 मे से 244 वर्ग मीटर यानि 0.024 हैक्टर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है। पंजीयन की रिपोर्ट अनुसार प्रभावित भूमि का मूल्य --

डीएलसी-- 643574/-- डीएलसी का दुगना -- 643574 गुणा 2 -- 1287148/--

मुआवाजा राशि -- 1287148/10000 गुणा 244-- 31406 पूर्णांक में 3141/-- खाते जमाबंदी अनुसार प्रभावित काश्तकारों को मुआवजा राशि निम्नानुसार बनती है:--

	आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
	36	अमरचंद्र पुत्र मोहन जटिया	1/32	981
	36	इन्द्रा पुत्री कमली जटिया	1/24	1309
–	36	उँकार पुत्र बालू जटिया	1/6	1963
4–	36	गोपाल पुत्र कमली जटिया	1/24	1309
5–	36	दौला पुत्र बालू जटिया	1/16	1963
6–	36	नारायण पुत्र कमली जटिया	1/32	981
7–	36	बबली पुत्री कमली जटिया	1/24	1309
8–	36	माधू पुत्र बालू जटिया	1/16	1963
9–	36	रतनलाल पुत्र मोहन जटिया	1/32	981
10–	36	वक्ता पुत्र भूरा जटिया	1/4	7853
11–	36	समती पुत्री मोहन जटिया	1/32	982
12–	36	सीता पुत्री बालू जटिया	1/16	1963
13–	36	हीरा पुत्र भूरा जटिया	1/4	7853
			कुल योगः	31410/–

इस प्रकार रास्ते में आने वाली भूमि का रकबा 244 वर्गमीटर यानि 0.024 हैक्टर भूमि की डीएलसी दर से दुगनी राशि का मुल्यांकन किया जाने पर कुल राशि 31410/– अक्षरे रूपये ईक्तीस हजार चार सौ दस मात्र प्रार्थीगण द्वारा जमा कराने पर वर्णित भूमि को रास्ते के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायसंगत होता है क्यो कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रतिकर जमा कराने की स्वीकृति का अंकन किया है, जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। ग्राम दौलतपुरा प0ह0 बरनियास की आराजी संख्या 36 मे से 244 वर्गमीटर भूमि यानि 0.024 हैक्टर भूमि जिसकी लम्बाई 80 मीटरी एवं चौडाई 3.05 मीटर यानि 244 वर्गमीटर भूमि की डी.एल.सी. दर से कुल राशि 31410/– रूपये अक्षरे रूपये ईक्तीस हजार चार सौ दस राशि प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को दिये जाने हेतु तहसील कार्यालय में जमा कराने पर उक्त विपक्षीगण के खातेदारी की भूमि आराजी संख्या 36 मे से 244 वर्गमीटर भूमि (0.024 हैक्टर) लम्बाई 80 मीटर एवं चौडाई 3.05मीटर भूमि को सार्वजनिक रास्ते के रूप में राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किये जाने एवं नक्शाट्रेस में भी रास्ते का अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार बेगूँ को इस निर्णय की एक प्रति वास्ते पालनार्थ दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थीगण से रास्ते हेतु राशि 31410/– रूपये प्राप्त करते हुए निर्णय में अंकितानुसार विपक्षीगण को राशि का भुगतान नियमानुसार करना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 22.07.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक/सरिश्ता/2024/

दिनांक ::–

प्रार्थना पत्र संख्या 38/2022 व अनवान नानालाल बनाम अमरचन्द्र वगे. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज0काश्त0अधिनियम में न्यायालय द्वारा दिए गये आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जाती है।

सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़